



2026:AHC:16718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2218/2026

दिनेश कुमार सरोज

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- अनिल कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. एफ.आई.आर. के अनुसार आरोप है कि प्रार्थी ने पीड़िता को अपने प्रेम संबंध में फँसाया और विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता बालिग है तथा प्रार्थी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध होने के कारण दिनांक 28.11.2025 को उनका विवाह तय हुआ था। आगे यह भी कहा गया कि सगाई समारोह भी संपन्न हुआ था, किंतु कुछ मतभेदों के कारण विवाह संपन्न नहीं हो सका। दोनों के बीच जो भी शारीरिक संबंध स्थापित हुए, वे सहमति से थे। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता के बयान के अनुसार भी दोनों के बीच सहमति से संबंध थे तथा कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि प्रार्थी ने प्रारंभ में विवाह का झूठा वादा किया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाह तय हुआ और सगाई भी हुई, किंतु कुछ गलतफहमी के कारण विवाह नहीं हो सका। अतः बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 19.07.2025 से जेल में निरुद्ध है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

5. आगे बढ़ने से पूर्व, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है—

"जो कोई प्रवचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"

स्पष्टीकरण-"प्रवचनापूर्ण साधनों" में नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिये, उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन, सम्मिलित है।"

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3471) के प्रकरण में पैरा 26, 27 एवं 31 में निम्न प्रकार से कहा है—

"26. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच संबंध की प्रकृति निम्न विशेषताओं से स्पष्ट होती है:

(i) अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता वर्ष 2008 से एक-दूसरे को जानते थे। स्वयं शिकायतकर्ता यह स्वीकार करती है कि अपीलकर्ता के साथ उसका वर्ष 2017 तक बिना



किसी विरोध के शारीरिक संबंध रहा, जबकि वह यह आरोप लगाती है कि यह संबंध उसकी सहमति के बिना बनाया गया था।

(ii) शारीरिक संबंध नियमित रूप से चलता रहा। किंतु शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिसंबर, 2010 में जब उसने शिरवाने, नेरुल सेक्टर-1, नवी मुंबई में एक किराए का कमरा लिया, तब अपीलकर्ता प्रतिदिन आता था और प्रतिदिन उसकी सहमति के बिना और विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

(iii) शिकायतकर्ता कोई भोली-भाली या आसानी से धोखा खाने वाली महिला प्रतीत नहीं होती, जो अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखते हुए छल का शिकार हुई हो; बल्कि झूठे विवाह के वादे का आरोप तभी सामने आया जब अपीलकर्ता ने उसे आगे आर्थिक अथवा अन्य सहायता देने से इंकार कर दिया।

(iv) शिकायतकर्ता का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह एक परिपक्व महिला है, जो अपने कार्यों के परिणामों को समझने में सक्षम है और वह इस बात से भली-भांति अवगत थी कि वह एक विवाहित पुरुष के साथ किस प्रकार के अवैध संबंध में संलग्न थी।

(v) शिकायतकर्ता पूर्णतः अवगत थी कि अपीलकर्ता पहले से विवाहित है और उसकी दो पत्नियाँ हैं, हालाँकि उनमें से एक अस्वस्थ थी।

27. उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि के दौरान यह संबंध अधिकतर एक विवाहेतर संबंध था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता से विवाह करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया गया। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने लंबे समय तक बिना विवाह के आग्रह के शारीरिक संबंध बनाए रखा, इस बात की संभावना को कम करता है कि अपीलकर्ता ने विवाह का कोई वादा किया था; बल्कि यह दर्शाता है कि संबंध सहमति से था।

हमारी राय में, यदि महिला पक्ष द्वारा बिना विरोध और बिना विवाह के आग्रह के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाए, तो यह सहमति पर आधारित संबंध को



दर्शाता है, न कि ऐसा संबंध जो पुरुष द्वारा विवाह के झूठे वादे पर आधारित हो और इस प्रकार तथ्य की गलत धारणा पर आधारित हो।

(जोर दिया गया)

31. हमारे विचार में, यदि इतने लंबे समय तक चले शारीरिक संबंध को बहुत विलंब से आपराधिक रंग दिया जाए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे ऐसे लंबे संबंधों के बिगड़ने पर उन्हें आपराधिक रूप देने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बाद में किसी भी समय ऐसा आरोप लगाकर किसी व्यक्ति को कठोर आपराधिक प्रक्रिया में उलझाया जा सकता है। न्यायालय को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक सामान्यतः बिगड़े हुए नागरिक संबंध को आपराधिक मंशा का रूप न दे दिया जाए।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्य की प्रकृति तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अतः, प्रार्थी दिनेश कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 326/2025, धारा 69 बी.एन.एस., थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।
- v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

22 जनवरी, 2026

एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।